(राजस्थान सरकार)

र्णय ब–इजलास प्रकाश कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

करण संख्या 34/2023 (धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
रकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।
सरकार जरिये थानाधिकारी नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

–प्रार्थी

बनाम

रितेश कुमार पुत्र कल्लुराम प्रजापत निवासी जटियाना पुलिस थाना खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।
जीतराम पुत्र अर्जुन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर पुलिस थाना भिवाड़ी।
अमिताभ बच्चन पुत्र महेन्द्र बावरिया निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर पुलिस थाना भिवाड़ी।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. व क्षमता 14.2 किलोग्राम 1 विद्युत मोटर काला पाईप मय हुक को राजसात करने बाबत।

पस्थित
पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 03.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना नीमराना जिला अलवर के पत्र क्रमांक 818 दिनांक 18.4.11 से प्राप्त गोशवारे के अनुसार दिनांक 13–04–2011 श्री घनश्याम मीणा, प्रर्वतन निरीक्षक उपखण्ड बहरोड की रिपोर्ट पर ग्राम कोलीला, हनुमान मंदिर के पास, शमशान घाट के नजदीक पहुँचे तो वहाँ एक एल०पी०जी० गैस टैंकर व एक स्कार्पियों कार खड़ी मिली। वहाँ पर रीतेश कुमार, जीतराम व अभिताभ बच्चन सिलेण्डरों को इधर–उधर करते पाये गये तथा उक्त तीनों व्यक्ति अवैध रूप से एल०पी०जी० गैस टैंकर से गैस निकाल कर रहे थे। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा एल०पी०जी० गैस टैंकर से गैस निकाल कर बेची जा रही थी। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य दृवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का उल्लंघन है तथा धारा 3/7 ई०सी० एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिस पर एक गैस टैंकर नं HR 55E 6598 मय एल०पी०जी० गैस, एक वाहन बिना नम्बर जिसके चेचिस नं० 82 ए 70224 व ईंजन नं० HA 74M 11429 है, 15 भरे हुए व 3 खाली कमर्सियल गैस सिलेण्डर एवं एक गैस की नलकी रबड़ की लगभग 16 फुट लम्बी को जप्त किया गया जिसे राजसात (Conficate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। थानाधिकारी नीमराना से तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया।
बहस पैरोकार रसद सुनी गई।
प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा किया गया कृत्य दृवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन)

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का उल्लंघन है तथा धारा 3/7 ई०सी० एक्ट 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिस पर एक गैस टैंकर नं HR 55E 6598 मय एल०पी०जी० गैस, एक वाहन बिना नम्बरी जिसके चेचिस नं० 82 ए 70224 व ईंजन नं० HA 74M 11429 है में 15 भरे हुए व 3 खाली कमर्सियल गैस सिलेण्डर एवं एक गैस की नलकी रबड़ की लगभग 16 फुट लम्बी को जप्त किया गया जिसे राजसात (Conficate) करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

5. थानाधिकारी नीमराना ने अपने पत्रांक में वर्णित किया कि अति0 जिला कलक्टर अलवर के आदेश 391 दिनांक 18.04.2011 की पालना में वाहन संख्या एचआर 55 ई 6598 को प्रार्थी को सुपुर्द किया चुका है।

6. पैरोकार रसद की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 13.04.2011 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर कोई जवाब पेश नहीं किया। व्यावसायिक गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनको गैस एजेन्सी द्वारा निर्धारित किमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध करवाये जाते है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण उपरोक्त व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को अवैध रूप से एल0पी0जी गैस की कालाबाजारी करना प्रतित होता हैं एवं दुरूपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण का विनियमनद्ध आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्तशुदा 15 भरे हुए व 3 खाली व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 15 भरे हुए व 3 खाली व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं रबड़ की एक गैस नलकी को राजसात किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़